

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-३/निदे०आ०वि०(नि०/जीर्ण०)-४५-०६/२०१७- ११०

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ०२.०१.१८

विषय:-वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-१०७२७ (भ०) अनु० दिनांक-३०.११.२०१७ द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में रोहतास जिलान्तर्गत अवस्थित राजकीय अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, मोकर, रोहतास के मुख्य भवन (विद्यालय एवं छात्रावास), शौचालय एवं जलापूर्ति तथा विद्युतिकरण के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य कराने हेतु कुल ₹१,४९,५८,०००/- (एक करोड़ उनचास लाख अन्ठावन हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत।

२- प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष २०१७-१८ में राज्य स्कीम मद के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के मांग सं०-०३ के अन्तर्गत बजट शीर्ष "४०५९- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-०१-कार्यालय भवन-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना- ०१०१-अनुसूचित जाति के भवन-विषय शीर्ष-०१०१.५३.०१-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड-०३-४०५९०१७८९०१०१ से राशि विकलनीय होगा। व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

३- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक १७-४-१९९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

४- स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

५- निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा।


६- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भी माहवार उपलब्ध करायेंगे।

७ - इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

८ - इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

९ - कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।)


ज्ञापांक- 3/निदे0आ0वि0(नि0/जीर्ण0)-45-06/2017- 110 पटना, दिनांक- 02.01.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोपागार पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, रोहतास/उप विकास आयुक्त, रोहतास /उप निदेशक, कल्याण, पटना /जिला कल्याण पदाधिकारी, रोहतास/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, रोहतास/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।